पोतन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1982

सा० का० नि० 849.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोरमुगाव पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाए गए और गोवा, दमन और दीव सरकार के राजपत्र तारीख 24 जून, 1982 और तारीख 1 जुलाई, 1982 की श्रृंखला III, सं० 13 और 14 के पृष्ठ सं० 119 से 121 और 129 से 131 पर प्रकाशित मोरमुगाव पत्तन (संशोधन) विनियम, 1982 का, अनुमोदन करती है ।

[पी० डब्ल्यू/पी जी० एल-24/82]

एम० आर० गथवाल, उपसचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 22nd September, 1982

G.S.R. 849.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government, hereby approves "the Marmugao Port Regulations (First Amendment Regulations), 1982", made by the Board of Trustees of the Marmugao Port Trust in exercise of the powers conferred by section 123 of the said Act and published at pages 119 to 121 and 129 to 131 of Series II, Nos. 13 and 14 of the official Gazette of the Government of Goa, Daman and Diu dated the 24th June, 1982 and the 1st July, 1982, respectively.

[PW/PGL-24/82]

M. R. GATHWAL, Dy. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1982

सा० का० नि० 850.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेल डिग्री कालेज, इंटरमीडिएट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहु-उद्देश्यीय विद्यालय तथा हाई स्कूल (ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद) भर्ती नियम 1980 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

(1) ये नियम भारतीय रेल इंटरमीडिएट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहु-उद्देश्यीय विद्यालय तथा हाई स्कूल (ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1982 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल डिग्री कालेज, इंटरमीडियेट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक बहु-उद्देश्यीय विद्यालय तथा हाई स्कूल (ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद) भर्ती नियम 1980, (1980 का सा०का० नि० 374), की अनुसूची की मद (1) 'पद का नाम' के अंतर्गत "प्रिंसिपल, डिग्री कालेज" को निकाल दिया जाये तथा पदों की कुल संख्या को बदल कर '25' से '24' कर दिया जाये।

[सं० 78/ई(जी आर)I/24/1.]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 17th September, 1982

G.S.R. 850.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980*, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Schedule to the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980 (G.S.R. 374 of 1980), reference to item (1) the "Principal, Degree College" under column "Name of post" shall be omitted, and change the total number of posts from "25" to "24".

[No. 78/E(GR)I/24/1]

सा० का० नि० 851.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रिंसिपल डिग्री कालेज, सिकन्दराबाद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(1) ये नियम भारतीय रेल डिग्री कालेज, सिकन्दराबाद (प्रिंसिपल) भर्ती नियम, 1982 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका कोई पति/पत्नी जीवित हो, से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो, या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार :—यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन कालोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी श्रेणी या कोटि के व्यक्तियों के लिये शिथिल करने का आदेश दे सकती है।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों में की गयी किसी व्यवस्था से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष कोटियों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में शिथिलता तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु-सीमा	क्या भारतीय रेल स्थापना सं० जिल्द 11 के नियम 2423-क (सी एम आर 404 ख) के अन्तर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
(1)	2	3	4	5	6	6क	7
प्रिंसिपल	1* *कार्यभार पर आधारित परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "क"	1200-1900 रु०	लागू नहीं होता	50 वर्षों से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तिथि वह होगी जो भाग में रहने वाले उम्मीदवारों (अंडमान एवं निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से भिन्न) में आवेदन प्राप्ति के लिये अंतिम तिथि हो।	नहीं	आवश्यक : अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ डाक्टरेट की डिग्री अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य सहित प्रथम श्रेणी अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री और कम से कम 10 वर्ष का डिग्री कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव या डिग्री कक्षाओं को पढ़ाने के कम से कम 15 वर्ष के अनुभव सहित अच्छे शैक्षणिक रेकार्ड के साथ प्रथम श्रेणी अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री। टिप्पणी 1—अथवा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2—यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीद-

1	2	3	4	5	6	7
						वारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता शिथिलनीय है ।
						वांछनीय—
						किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रशासनिक अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परखीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है ?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होगा ।	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होगा ।	लागू नहीं होगा ।	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं० 78/ई०(जी आर)/1/24/1]

आर० रामानाथन, संयुक्त निदेशक

G.S.R. 851.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Principal, Degree College, Secunderabad.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railways Degree College, Secunderabad (Principal) Recruitment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said post, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limits, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 2423-A of the (Civil Service Regulations 404-B) Indian Railway Establishment Code Volume II	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6a	7
Principal	1 (1982) Subject to variation dependent on work-load.	Group 'A'	Rs. 1200-1900	Not applicable.	Not exceeding 50 years. (Relaxable upto 5 years for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No.	Essential : (i) Good academic record with a first or high class Master's Degree with Doctorate Degree or equivalent published work and teaching experience of degree classes of not less than ten years. OR Good academic record with first or high second class Master's Degree with teaching experience of degree classes of not less than 15 years. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (1) Administrative experience in a recognised institution.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt, or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Cosultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[No. 78/E(GR)I/24/1]
R. RAMANATHAN, Jt. Director.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1982

सा०का०नि०852——————संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक-तार निदेशालय (कलाकार व सुलेखकार) भर्ती नियम, 1978 का अधिक्रमण करते हुए, इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व इस संबंध में अपनाये गये अथवा अपनाने के लिये छोड़े गये मुद्दों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा डाक-तार निदेशालय में कलाकार के पद पर भर्ती के तरीके को नियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:—(1) इन नियमों को डाक-तार निदेशालय (कलाकार) भर्ती नियम, 1982 कहा जाये।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—इस पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा जैसा कि इन नियमों की अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्धारित है।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हता आदि :—इस पद के लिये भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इससे संबद्ध अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं।

4. अयोग्यता: कोई भी ऐसा व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो या विवाह का करार किया हो, जिसके पहले से ही एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह का करार किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस उसे बात से संतोष हो जाये कि ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी के वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसे विवाह की अनुमति दी जा सकती है और कि ऐसा करने के लिये और भी आधार है तो, इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत छूट दे सकेगी।

6. अपवाद: केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये दिये जाने वाले आरक्षणों, आयु-संबंधी छूट और अन्य रियायतों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जो आरक्षण, आयु-संबंधी छूट और रियायतें दी जानी चाहियें, उन पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिये आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
कलाकार	1*	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ग' अराजपत्रित तिपिक वर्गीय	550-20-650-25-750 रु०	लागू नहीं	भर्ती वाले वर्ष पहली जनवरी को 18 से 30 वर्ष के बीच उन व्यक्तियों के लिये जो पहले से ही सेवा में है 35 वर्ष तक छूट।	अनिवार्य :— (1) मैट्रिक (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य कला में डिप्लोमा।

*कार्यभार के अनुसार परिवर्तन संभव

क्या सीधी भर्ती वालों के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका: क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा है तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे पदक्रम जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	भर्ती करने के लिये किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	ग्रुप सी विभागीय पदोन्नति समिति गठन : लागू नहीं। (1) सचिव, डाक तार बोर्ड (2) निदेशक श्रमला (डाक) (3) निदेशक श्रमला (दूर-संचार) (4) म०म०नि० (प्रशासन)	

[सं० 10-17/82-प्रशा०]

के० एल० शर्मा, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 25th September, 1982

G.S.R. 852.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Posts and Telegraphs Directorate (Artist-cum-Caligraphist) Recruitment Rules, 1978, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist in the Posts and Telegraphs Directorate, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Posts and Telegraphs Directorate (Artist) Recruitment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification.	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Artist.	1* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group C Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 550-20-650-25-750.	Not applicable	18-30 years on the 1st of January of the year of recruitment. Relaxable for persons already in Government service upto 35 years.	Essential : (i) Matriculation. (ii) Diploma in Commercial Art from a recognised Institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years	By direct recruitment.	Not applicable.	Group C Departmental Promotion Committee comprising of— (1) Secretary Posts and Telegraphs Board (2) Director Staff (Postal) (3) Director Staff (Telecom.) (4) Assistant Director General (Admn.)	Not applicable

[F. No. 10/17/82-Admn.]

K. L. SHARMA, Assistant Director General (Admn.)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982